"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई 2018 — आषाढ़ 12, शक 1940

ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2018

अधिसूचना

क्रमांक 1825/एफ 1-2/2018/13/1/ऊ.वि. — यतः, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 82 के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 432/आर-352/03, रायपुर दिनांक 11 मई, 2004 द्वारा अध्यक्ष सहित दो सदस्यीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था;

और यतः, सिविल अपील क्रमांक 14697, 13451 सन् 2015 स्टेट ऑफ गुजरात एण्ड अदर्स वर्सेस यूटिलिटी यूजर्स वेलफेयर एसोसियेशन एण्ड अदर्स में, पैरा 114 में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन हेतु यह आवश्यक हो गया है कि उक्त आयोग में एक सदस्य, विधि का एक जानकार व्यक्ति होना चाहिये;

अतएव, पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अग्रिम वर्णित सीमा तक संशोधित करते हुए, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त वर्णित सिविल अपील में दिनांक 12 अप्रेल, 2018 को जारी उक्त निर्देशों के अनुपालन में, उक्त अधिनियम की धारा 82 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का पुनर्गठन करती है जिसमें अध्यक्ष को शामिल करते हुए तीन सदस्य होंगे, इन तीन सदस्यों में से एक सदस्य, विधि का ऐसा जानकार व्यक्ति होगा, जो कोई न्यायिक पद धारित कर रहा हो या किया हो अथवा जो विधि व्यवसाय में सारवान अनुभव के साथ व्यवसायिक अर्हता रखने वाला ऐसा व्यक्ति हो, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु अपेक्षित अर्हता रखता हो।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 30th June 2018

NOTIFICATION

No.1825/F1-2/2018/13/1/ED.— Whereas, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission consisting of two members including Chairperson was constituted vide this department's Notification No. 432/R-352/03, Raipur dated 11th May, 2004 under Section 82 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);

And Whereas, as per the directions given in para 114 of the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal Nos. 14697, 13451 of 2015 State of Gujarat and Others Vs. Utility Users' Welfare Association and Others, it is mandatory that there should be a person of law as a member of the said Commission;

Now Therefore, in compliance of the said direction dated 12th April, 2018 of the Hon'ble Supreme Court of India and in exercise of the powers conferred by Section 82 of the said Act, the State Government, hereby, reconstitutes the said Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission as a three member Commission including Chairperson, amongst whom one member shall be a person of law, who is, or has been holding a judicial office or is a person possessing professional qualifications with substantial experience in the practice of law, who has the requisite qualifications to have been appointed as a Judge of High Court or a District Judge.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YASHWANT KUMAR, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2018

आदेश

क्रमांक 1827/एफ 1-7/13/1/चयन समिति/ऊ.वि./2007. — विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, 2003) की धारा-85 की उपधारा-1 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन करती हैः-

क्र.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	श्री सुभाष चन्द्र व्यास माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)	चयन समिति के अध्यक्ष
2	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	चयन समिति के सदस्य
3	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	चयन समिति के सदस्य

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.